

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन सं०-ए-4/ई-1/2020 दिनांक 29-12-2020 के द्वारा विज्ञापित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा (मुख्य) परीक्षा-2020 के अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये परम्परागत आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा अथवा विषय-विशेषज्ञों द्वारा शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त दिये गये परामर्श के आधार पर अनर्ह पाये गये जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मा० आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है, उनके अनुक्रमांक पदवार निम्नवत् है :-

1 (A)- प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी-2 103640
105125 107052 108024 108581 109353 111992 119308 119832 123389 124270
127739 140474 144107 153308 153658 155549 157797 160559 160633
161008 166192 166525 168330 (कुल-24)

1 (B)- वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (शस्य शाखा) 100438 104808 107321 109647 116768
145625 149953 160869 (कुल-08)

1 (C)- वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (वनस्पति शाखा) 124803 139968 150851 158984 164557
(कुल-05)

1 (D)- वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (पौध संरक्षण शाखा) 122063 129698 155482 169095 170001
(कुल-05)

1 (E)- वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (रसायन शाखा) 107870 112058 147061 149643 (कुल-04)

1 (F)- वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (विकास शाखा) 101143 103640 104015 104361 104808
107940 108066 112009 112058 116155 119429 119530 124186 129698 130492 133163
137450 155482 155528 156110 159110 159221 160869 161533 166525 (कुल-25)

(2)- विज्ञापन के शर्तानुसार विज्ञापित अर्हता धारित न करने के कारण/अन्तिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता धारित न करने के कारण जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया, उनके अनुक्रमांक निम्नवत् है:-
101449 107881 109443 124565 130419 (कुल-05)

(3)- प्रश्नगत परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में विहित प्रावधानों के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ कोई शैक्षिक अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं, को अनर्ह मानते हुए उनके अभ्यर्थन निरस्त कर दिये गये हैं। उक्त अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत् है :-
138281 एवं 151250 (कुल-02)

(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक।